“दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक – 2016”

जानिए " विधेयक की मूख्य विशेषताएं

A. सभी सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा की दिव्यांग व्यक्ति अपने अधिकार सामान्य व्यक्तियो के अधिकारों की तरह इस्तेमाल कर सके, एवं आनंद ले सके।

B. दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।

C. दिव्यांगता के प्रकार मौजूदा 7 से 21 तक बढ़ा दिए गए हैं और केंद्र सरकार के पास अधिक प्रकार की दिव्यांगता को जोड़ने की शक्ति होगी। 21 दिव्यांगता नीचे दी गई हैं:

१.अंधापन २. कम दृष्टि वाले रोगी ३. कुष्ठ रोगग्रस्त ४.सुनने में परेशानी (बहरा और सुनवाई की कमी)
५. लोकोमोटर विकलांगता ६. बौनावाद ७. बौद्धिक विकलांगता ८. मानसिक बीमारी
९. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार १०. सेरेब्रल पाल्सी ११. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी १२. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां
१३. विशिष्ट लर्निंग विकलांगता १४. एकाधिक स्क्लेरोसिस १५. बोलना और भाषा विकलांगता १६. थैलेसेमिया
१७. हेमोफिलिया १८. सिकल सेल बीमारी १९. बधिरता सहित कई विकलांगताएं २०. एसिड अटैक पीड़ित
२१. पार्किंसंस रोग

D. भाषण और भाषा दिव्यांगता और विशिष्ट सीखने की अक्षमता को पहली बार जोड़ दिया गया है। एसिड अटैक पीड़ितों को शामिल किया गया है। बौनावाद, मांसपेशी डिस्ट्रॉफी को निर्दिष्ट विकलांगता के अलग वर्ग के रूप में शामिल किया गया है। दिव्यांगता की नई श्रेणियों में तीन रक्त विकार, थैलेसेमिया, हेमोफिलिया और सिकल सेल रोग भी शामिल है।

E. बेंचमार्क दिव्यांग लोगों और ज्यादा पीड़ित आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान किए गए हैं ।

F. 6 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बीच बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मुक्त करने का अधिकार होगा।

G. प्रधान मंत्री के सुलभ भारत अभियान को मजबूत बनाने के लिए, निर्धारित समय-सीमा में सार्वजनिक भवनों (सरकारी और निजी दोनों) में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया गया है।

H. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है ।

I. यह विधेयक जिला न्यायालय द्वारा अभिभावक प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है जिसके तहत अभिभावक और दिव्यांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लिया जाएगा ।

J. दिव्यांगता पर व्यापक आधार पर केंद्रीय और राज्य सलाहकार बोर्डों को नीति बनाने वाले निकायों के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

K. दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांग आयुक्तों के मुख्य आयुक्त के कार्यालय को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेगा और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगा।

L. दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

M. पीडब्ल्यूडी के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को संभालने के लिए नामित विशेष न्यायालयों का प्रस्ताव दिया गया है।